

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632 पार्ट-1/696
प्रति,

भोपाल दिनांक 27/04/2020

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)
2. संयुक्त/उप संचालक/आहरण एवं संवितरण अधिकारी
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय (समस्त)
3. कार्यपालन यंत्री/आहरण एवं संवितरण अधिकारी
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग (समस्त)
4. सचिव/आहरण एवं संवितरण अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
..... जिला (समस्त)


विषय :- कोविड-19 के कारण सहायता जुटाने हेतु मंडी बोर्ड एवं प्रदेश की मंडी समितियों में कार्यरत सेवकों के अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती की जाकर मुख्यमंत्री सहायक कोष में राशि जमा करने के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 15 अप्रैल 2020

संदर्भित ज्ञाप अंतर्गत शासन द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि शासकीय सेवकों के माह अप्रैल 2020 के वेतन से (जो माह मई 2020 में देय होगा) एक दिन के मूल वेतन की राशि की कटौती की जाये एवं जिनके द्वारा स्वैच्छा से माह मार्च 2020 के वेतन से कोष में जमा करा दिया गया है उनके माह अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि कोई शासकीय सेवक उपर्युक्त से अधिक या कम राशि की कटौती अथवा किन्हीं कारणों से असहमति व्यक्त करना चाहता है तो तदनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अवगत करा सकता है। ऐसे शासकीय सेवक, जिनके द्वारा स्वैच्छा से मार्च 2020 में अंशदान दिया गया है, को छोड़कर अन्य शासकीय सेवकों के संबंध में निर्धारित सीमा में अन्यथा कोई सूचना प्राप्त न होने पर शासकीय सेवक की सहमति मानी जावेगी। संदर्भित ज्ञाप की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः उपरोक्त शासकीय निर्देश के अनुक्रम में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण सहायता जुटाने हेतु म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के उन कर्मियों को छोड़कर जो दिनांक 28.04.2020 तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को विषयांतर्गत अपनी असहमति प्रस्तुत करते हैं, अन्य समस्त सेवकों के अप्रैल 2020 के वेतन से 01 दिन के मूल वेतन की राशि की कटौती की जाकर मुख्यमंत्री सहायता

कोष के भारतीय स्टेट बैंक, वल्लभ भवन शाखा, खाता क्रमांक 10078152483— आई एफ एस सी कोड SBIN0001056 में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।



(संदीप यादव)


प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
(भोपाल)

भोपाल दिनांक 27/04/2020

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632 पार्ट-1/697

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (वित्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संप्रेषित।



प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
(भोपाल)

क्रमांक 329 डी.एन.सी./व-07/2020/चार

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2020

प्रति,

भारत के शासक विभाग,
आयुक्त, राज्य मंडल, मध्यप्रदेश ग्वातियर,
संभार संभागीय आयुक्त,
शासक विभागाध्यक्ष,
संभार जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :- कोविड - 19 के कारण सहायता जुटाने हेतु सभी शासकीय सेवकों के अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती की जाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा किये जाने के संबंध में।

...

विद्यमानतः विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर यह इच्छा व्यक्त की गई है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिये राज्य शासन के शासकीय सेवकों के एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाए। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा परिपत्र क्रमांक 94706/डी.एन.सी./व-07/2020/चार भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2020 निर्देश जारी किये गये थे।

राज्य शासन के ध्यान में यह जानकारी लाई गई है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने माह मार्च के वेतन से एक दिन के मूल वेतन की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई जा चुकी है। अतः उपरोक्त परिपत्र क्रमांक 94706/डी.एन.सी./व-07/2020/चार भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2020 को निरस्त करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

2/ शासकीय सेवकों के माह अप्रैल के वेतन से (जो कि मई माह में देय होगा) एक दिन के मूल वेतन की राशि की कटौती की जाये। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनके द्वारा स्वेच्छा से माह मार्च के मासिक वेतन से IFMIS के माध्यम से कोष में अंशदान दे दिया गया है उनके माह अप्रैल के वेतन से कटौती की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि कोई शासकीय सेवक उपर्युक्त से अधिक या कम राशि की कटौती अथवा किन्हीं कारणों से असाहमति व्यक्त करना चाहता है तो तदनुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लिखित में दिनांक 20/04/2020 तक आवश्यक रूप से अवगत करा सकता है। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनके द्वारा स्वेच्छा से माह मार्च में अंशदान दिया गया है, को छोड़कर अन्य शासकीय सेवकों के संबंध में इस अवधि सीमा में अन्यथा कोई सूचना प्राप्त न होने पर शासकीय सेवक की सहमति मानी जावेगी।

3/ कृपया उपरोक्तानुसार कटौती राशि, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सहायता कोष के भारतीय स्टेट बैंक, चत्तम भवन शाखा, खाता क्रमांक 10078152483 - आई. एफ. एस. सी. - SBIN0001056 में संचालित खाते में जमा किये जायें हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

23.4-20

मध्यप्रदेश के राज्यापाल के गान से

तथा आदेशानुसार

संचालक वजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2020

प्रमाणक 330 /डी.एम.सी./म-07/2020/चर

प्रतिनिधि:-

01. राजभवन, मध्यप्रदेश के सचिव, राज्यभवन, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
03. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
04. महालेखाकार (लेखा और हस्तक्षेप) मध्यप्रदेश ग्यालियर / भोपाल।
05. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
06. मुख्य निबंधन पाठ्यविभागी, मध्यप्रदेश भोपाल।
07. महाविभागाध्यक्ष / उपमहाविभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्यालियर
08. आगुप्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
09. मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकार, मंत्रालय, भोपाल।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोय, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश।
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
13. अध्यक्ष, शरान के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. संभागीय / जिला पेंशन अधिकारी, मध्य प्रदेश।
16. मध्य प्रदेश शरान के वित्त अधिकारी (स्याई सूची अनुसार)।
17. गार्ड फाइल

की ओर सूचनार्थ एवं सभी अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अवगत करावे।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग